Before the Board of Revenue(M.P.) , Gwalior.

Revision No. /2017

Applicant:- The Defence Workers Housing Co-operative Society Ltd.,through its President Shri S.D.Choube, Sadar Bazar, Cantt. Jabalpur(M .P.) I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2017/6121

Versus

Non-applicants:-

1. S.P.Gupta son of late Lildhar Gupta
2. Smt.Vidhya Gupta wife of Shri S.P. Gupta, both the residents of 74,Shastri Vihar, Lal Bahadur Shstri, Trimurti Jabalpur(M.P.)
3. Smt. Rewti Bai (Died)
4. Rajeshwar Singh (Died)
5. The State of M.P. through the Collector, Jabalpur(M.P).

20 NOV 2017

Revision under Section 50 of the M.P. Land Revenue Code 1959.

Being aggrieved by the order dated 24-10-2017 passed by the Addl. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, in revenue second appeal No.321/A-6/2015-16 by which the appeal of the applicant has been dismissed and confirmed the order dated 27-10-2014 passed by the SDO(Rev), Jabalpur in Revenue appeal No.09/A-6/2012-13, the applicant begs to prefer this revenue revision on the following facts and grounds amongst others:-

1. That the applicant is the housing Co-operative Society registered under the Provisions of the M.P. Co-operative Societies Act 1960. Therefore, the applicant is a corporate body as per Section 31 of the ibid Act. The main objects of the applicant is to provide residential plot to its members

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/जबलपुर/भू.रा./2017/6121 **जिला** – जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 321/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 के विरुद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने यह मानते हुए कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का विश्लेषण व परीक्षण कर आदेश पारित किया गया है। उक्त कारण से उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से सहमत होते हुए अपील को निरस्त किया है। प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णय है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार तर्कों के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिनके आधार पर निगरानी को ग्राह्य किया जा सके। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	